राजस्थान सरकार
गृह (ग्रुप–7) विभाग

क्रमांकः प.7(1)गृह–7/2021 जयपुर, दिनांक : 29 दिसम्बर, 2021

आदेश

विषय– कोरोना वायरस संक्रमण के रोकथाम एवं बचाव हेतु **सतर्क** रहने एवं **सावधानी** बरतने हेतु **जन अनुशासन दिशा–निर्देश**।

गृह मंत्रालय, **भारत सरकार** ने आदेश No. 40-3/2020-DM-I(A) दिनांक 27 दिसम्बर, 2021 अनुसार राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के अधिकारियों को Disaster Management Act, 2005 (DM Act) की धारा 10(2)1 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निर्देशित किया गया है कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (MoHFW) के D.O. letter No. Z.28015/318/21-EMR, dated 21st Dec. 2021 में जारी किए गये मानकों के कार्यान्वयन पर दिनांक 31 जनवरी, 2022 तक कार्यवाही करें। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र DM Act के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत निम्नानुसार आवश्यक उपाय करने हेतु निर्देश दिये गये हैं:–

1. कोविड–19 प्रबंधन के लिए कोविड उपयुक्त व्यवहार/Covid Appropriate Behavior **(परिशिष्ट 'A')** का कड़ाई से पालन किया जाना जारी रहेगा।
2. कोविड–19 प्रबंधन के लिए जारी उक्त निर्देशों को सभी जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा कड़ाई से लागू किया जायेगा। सामाजिक दूरी को लागू करने के लिए, दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी), 1973 की धारा 144 के प्रावधानों का उपयोग किया जायेगा।
3. इन उपायों का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51 से 60 के प्रावधानों के अलावा आईपीसी की धारा 188 के तहत कानूनी कार्रवाई और अन्य कानूनी प्रावधान जो भी लागू हो, के तहत कार्यवाही की जा सकेगी।

पिछले कुछ दिनों में देशभर में **'Omicron'** के कई मामलें सामने आ रहे हैं। इस वैरिएंट के काफी अधिक संख्या में म्यूटेशन (उत्परिवर्तन) एवं डेल्टा वैरिएंट से तीन गुना अधिक संक्रामक होने की सूचना चिंता का विषय है। इसलिए हमें और अधिक **सतर्क एवं सावधान** रहने के साथ Five-fold strategy Test-Track-Treat-Vaccination and adherence to COVID Appropriate Behavior का ध्यान रखना अतिआवश्यक है।

कोविड के नए वैरिएंट के संक्रमण की रोकथाम एवं बचाव हेतु आगामी दिवसों में आने वाले नववर्ष के जश्न में भीड़–भाड़ होने की संभावना के मद्देनजर निम्नानुसार दिशा–निर्देश जारी किये जाते हैं:–

वैक्सीनेशन की अनिवार्यता

विशेषज्ञों की राय अनुसार जिन्होंने कोविड वैक्सीन की दोनों खुराक **(1st & 2nd dose)** ले ली हैं, उनमें कोरोना के नये वैरिएंट (ओमिक्रॉन) से संक्रमण का खतरा कम है और संक्रमित होने पर इसका असर कम देखा गया है।

1. समस्त विश्वविद्यालय/महाविद्यालय/विद्यालय/कोचिंग संस्थान के शैक्षणिक व अशैक्षणिक स्टाफ, 18 वर्ष से अधिक आयु के छात्र–छात्राऐं एवं संस्थान आवागमन हेतु संचालित बस, ऑटो एवं कैब के चालक को वैक्सीन की दोनों खुराक **(1st & 2nd dose)** लेनी होगी।
2. समस्त राजकीय कार्मिकों से अपेक्षा है कि वे कोविड–19 की दोनों डोज **(1st & 2nd dose)** लगवा लें।
3. प्रदेश के समस्त **सिनेमा हॉल्स/थियेटर/मल्टीप्लेक्स** 18 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों, जिन्होंने कोरोना वैक्सीन की दोनों खुराक **(1st & 2nd dose)** लगवा ली हो, के लिए **रात्रि 10:00 बजे तक** खोलने की अनुमति होगी।
4. समस्त प्रकार के ऑडिटोरियम एवं प्रदर्शनी हेतु उपलब्ध स्थान रात्रि **10:00 बजे** तक उन व्यक्तियों हेतु अनुमत होगा जिन्होंने कोरोना वैक्सीन की दोनों खुराक **(1st & 2nd dose)** लगवा ली हो।
5. समस्त **मॉल्स/दुकानें एवं अन्य व्यवसायिक प्रतिष्ठानों** को **रात्रि 10:00 बजे तक** खोलने की अनुमति होगी एवं समस्त कार्मिकों से अपेक्षा है कि वे कोविड की दोनों डोज **(1st & 2nd dose)** लगवा लें। इसके साथ स्क्रीनिंग की सुविधा, मास्क का उपयोग एवं अन्य कोविड उपयुक्त व्यवहार की अनुपालना करना अनिवार्य होगा।
6. सम्बन्धित संस्था प्रधान/अन्य संस्थानों के संचालकों/मार्केट एसोसिएशन/ समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालय प्रमुख अपने स्वयं/स्टाफ/कार्मिकों के वैक्सीन की दोनों डोज **(1st & 2nd dose) दिनांक 31 जनवरी, 2022** तक लगवाना सुनिश्चित करावें एवं कार्यालय के सदृश्य स्थान पर यह घोषणा भी लगाये कि स्वयं एवं स्टाफ द्वारा दोनों वैक्सीन डोज लगाई जा चुकी है।
7. **दिनांक 31 जनवरी, 2022** पश्चात् इन स्थानों पर डबल डोज **(1st & 2nd dose)** वैक्सीनेटेड लोगों को अनुमत किया जायेगा तथा उल्लंघन पाये जाने पर संबंधित संस्था प्रधान/अन्य संस्थानों के संचालकों/मार्केट एसोसिएशन/समस्त

विभागाध्यक्ष/कार्यालय प्रमुख के विरूद्ध प्रशासन द्वारा नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

समारोह आयोजन के सम्बन्ध में दिशा–निर्देश

8. सभी प्रकार के भीड़–भाड़ वाले सार्वजनिक, सामाजिक, राजनैतिक, खेल–कूद सम्बन्धी, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक समारोह/त्योहारों/शादी–समारोह में अधिकतम **200 व्यक्तियों** के सम्मिलित होने की अनुमति होगी। उक्त कार्यक्रमों में सम्मिलित होने वाले व्यक्तियों की संख्या 200 से अधिक होने पर इसकी पूर्व अनुमति जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट से प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

अन्य दिशा–निर्देश

9. प्रदेश में नए कोविड वैरिएंट के संक्रमण को रोकने हेतु जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की कोविड टीम द्वारा विदेश से आने वाले यात्रियों की सूचना ऑनलाईन पोर्टल {SSO→login→COVID 19 STATISTICS→District Quarantine Statistice (Form-4)} के माध्यम से इन्द्राज करने के साथ ही उक्त सूचना संबंधित जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट को प्रेषित करनी होगी, ताकि जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा क्वारंटीन नियमों/कोविड उपयुक्त व्यवहार की पालना की निगरानी सुनिश्चित की जा सके।

10. सिटी/मिनी बसों का संचालन **प्रातः 05:00 बजे से रात्रि 11:00 बजे तक** अनुमत होगा। किसी भी यात्री को खड़े होकर यात्रा करने की अनुमति नहीं होगी (no standing)

11. रेस्टोरेन्ट्स द्वारा **होम डिलीवरी** की सुविधा **प्रतिदिन 24 घण्टे** अनुमत होगी। Take away एवं रेस्टोरेन्ट में बैठाकर खिलाने की सुविधा, बैठक क्षमतानुसार **प्रतिदिन रात्रि 10:00 बजे तक** कोविड उपयुक्त व्यवहार की पालना सुनिश्चित करते हुए अनुमत होगा।

12. कोविड के मामलों के प्रसार को रोकने हेतु सघन रोकथाम और समूहों/क्षेत्रों में सक्रिय निगरानी की जानी चाहिए।

13. राज्यों से सटे जिलों द्वारा स्थापित सीमा चौकियों पर सख्त निगरानी स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी परिपत्र/दिशा–निर्देशों के अनुसार जारी रहेगी।

14. आमजन द्वारा कोविड उपयुक्त व्यवहार एवं टीकाकरण **(1st & 2nd dose)** के साथ–साथ मास्क का अनिवार्य उपयोग, सेनेटाईजेशन, दो गज की दूरी एवं बंद स्थानों पर उचित वेंटिलेशन का ध्यान रखना अतिआवश्यक है।

15. दिनांक **03 जनवरी, 2022** से प्रदेश के समस्त सिनेमा हॉल/थियेटर/मल्टीप्लेक्स/ऑडिटोरियम एवं प्रदर्शनी हेतु उपलब्ध स्थान 50 **प्रतिशत** क्षमता के साथ कोरोना वैक्सीन की दोनों खुराक **(1st & 2nd dose)** लिये हुए व्यक्तियों के लिए अनुमत होगें।

16. संपूर्ण प्रदेश में प्रतिदिन **रात्रि 11:00 बजे से प्रातः 05:00 बजे** तक रात्रिकालीन कर्फ्यू यथावत् जारी रहेगा।

17. नववर्ष के उपलक्ष में **दिनांक 31 दिसम्बर, 2021** को रेस्टोरेन्ट्स का संचालन अतिरिक्त **02.30 घण्टे** (रात्रि 10:00 बजे से 12:30 बजे तक) किया जा सकेगा एवं रात्रिकालीन कर्फ्यू में **2 घण्टे** (रात्रि 11:00 बजे से 01:00 बजे तक) की छूट रहेगी।

18. यह आदेश तत्काल रूप से प्रभावी होगा।

उक्त दिशा–निर्देशों का उल्लंघन किये जाने पर समस्त जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अपने स्थानीय क्षेत्राधिकार में आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51 से 60 एवं राजस्थान महामारी अधिनियम, 2020 के अनुसार कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। **(परिशिष्ट 'B')**

(अभय कुमार)
प्रमुख शासन सचिव, गृह

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. सचिव, राज्यपाल महोदय
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान।
3. सचिव, राजस्थान विधान सभा
4. विशिष्ट सहायक/निजी सहायक, सभी माननीय मंत्रीगण/राज्य मंत्रीगण
5. उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान।
6. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव।
7. महानिदेशक पुलिस, राजस्थान।
8. महानिदेशक जेल/होमगार्ड।
9. सभी विभागाध्यक्ष।
10. समस्त सम्भागीय आयुक्त।
11. समस्त जिला कलक्टर।
12. पुलिस आयुक्त, जयपुर/जोधपुर।
13. महानिरीक्षक/उप महानिरीक्षक, पुलिस रेंज, राजस्थान।
14. महाप्रबंधक, उत्तर–पश्चिम रेलवे, जयपुर, राजस्थान।
15. एयरपोर्ट डायरेक्टर, एयरपोर्ट ऑथोरिटी ऑफ इण्डिया, सांगानेर, जयपुर।
16. समस्त जिला पुलिस अधीक्षक/पुलिस उपायुक्त, जयपुर/जोधपुर
17. समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद
18. समस्त प्रादेशिक परिवहन अधिकारी/जिला परिवहन अधिकारी।
19. आयुक्त, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग को व्यापक प्रचार प्रसार हेतु।

(सीमा कुमार)
संयुक्त शासन सचिव

परिशिष्ट–'A'

कोविड–19 उपयुक्त व्यवहार (Covid Appropriate Behaviour)

a. **मुंह को ढकना (Face Covering):** सभी सार्वजनिक व कार्य स्थलों एवं परिवहन के दौरान फेस मास्क पहनना अनिवार्य होगा। **"No Mask No Movement"** की सख्ती से पालना सुनिश्चित कराई जायेगी।

b. **सामाजिक दूरी (Social Distancing):** सार्वजनिक स्थानों पर प्रत्येक व्यक्ति 6 फीट यानी (2 गज की दूरी) बनाये रखेगा। भीड़–भाड़ वाली जगहों, विशेषकर बाजारों, साप्ताहिक बाज़ारों और सार्वजनिक परिवहन में **सामाजिक दूरी** बनाये रखना संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए भी महत्वपूर्ण है।

c. **Spitting in public places : सार्वजनिक और कार्य स्थलों पर थूकना निषिद्ध है** और जुर्माने से दण्डनीय है।

d. सभी व्यक्तियों को यह सलाह दी जाती है कि वे किसी ऐसी सतह, जो सार्वजनिक सम्पर्क में है, को छुने के उपरान्त साबुन और पानी से हाथ धोयें/सेनिटाईजर का उपयोग करें।

e. जिला कलक्टर और जिला मजिस्ट्रेट कोविड–19 उपयुक्त व्यवहार यथा फेस मास्क पहनने, हाथों की स्वच्छता और सामाजिक दूरी बनाये रखने को बढ़ावा देने के लिए सभी आवश्यक उपाय करेंगे।

f. **घर से कार्य (WfH)** : जहाँ तक सम्भव हो घर से काम करने की विधि की पालना की जाये।

g. **Staggering of work/business hours :** कार्यालयों, कार्यस्थलों, दुकानों, बाजारों और औद्योगिक और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों के कार्य/व्यावसायिक समय में अंतराल रखा जाए।

h. कार्यालयों में बाहर से आने वाले आगंतुक कम–से–कम होने चाहिए और कार्यालय के कर्मचारियों, जो एक ही परिसर में मौजूद है, के अलावा सभी के साथ बैठक ऑनलाइन आयोजित की जानी चाहिए।

i. **जांच एवं स्वच्छता (Screening and Hygiene) :** सभी प्रवेश और निकास बिन्दुओं और कॉमन स्थानों पर थर्मल स्केनिंग, हैण्डवॉश और सैनिटाईजर का प्रबन्ध किया जावे।

j. **बार–बार सैनिटाईजेशन करना** : सम्पूर्ण कार्य स्थलों, आम सुविधाओं और मानव सम्पर्क में आने वाले सभी बिन्दुओं जैसे दरवाजे के हैण्डल आदि का शिफ्टों के मध्य बार–बार सैनिटाईजेशन करना सुनिश्चित किया जायेगा।

परिशिष्ट 'B'

राजस्थान महामारी अधिनियम, 2020 धारा 4 के अंतर्गत घोषित अपराध एवं धारा 11 के अंतर्गत शास्ति एवं शमन करने की शक्तियां निम्नानुसार है:–

क्र. सं.	अपराध	शास्ति (रू0)	शमन करने के लिए प्राधिकृत अधिकारी
1.	कोई व्यक्ति जो सार्वजनिक या कार्यस्थल पर फेस मास्क या फेस कवर (जिससे नाक और मुंह समुचित रूप से ढका हो) नहीं पहने हुए हो।	1000/–	1. समस्त कार्यपालक मजिस्ट्रेट 2. सहायक उप निरीक्षक एवं उससे उच्च स्तर के पुलिस अधिकारी 3. राजस्व निरीक्षक से अनिम्न रेंक के नगर निगम, नगर परिषद, नगर पालिका के अधिकारी 4. जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी व खण्ड विकास अधिकारी
2.	कोई दुकानदार द्वारा, ऐसे किसी व्यक्ति को जिसने फेस मास्क या फेस कवर नहीं पहना हुआ हो, किसी वस्तु का विक्रय करने एवं दुकान पर गोले बनाकर ग्राहकों के मध्य पर्याप्त दूरी की पालना नहीं किये जाने पर।	500/–	
3.	कोई व्यक्ति जो सार्वजनिक स्थान पर सामाजिक दूरी (अन्य व्यक्ति से न्यूनतम 6 फीट) बनाकर नहीं रखता है।	100/–	
4.	किसी व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक स्थान पर थूकने पर।	200/–	1. समस्त कार्यपालक मजिस्ट्रेट 2. सहायक उप निरीक्षक एवं उससे उच्च स्तर के पुलिस अधिकारी 3. जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी व खण्ड विकास अधिकारी
5.	कोई व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पर शराब, पान, गुटखा, तम्बाकू का उपभोग करते हुए पाये जाने पर।	500/–	
6.	आयोजकों द्वारा सार्वजनिक, सामाजिक, राजनैतिक, खेल–कूद सम्बन्धी, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक समारोह/ त्योहारों/ शादी–समारोह में अधिकतम **200 व्यक्तियों** से अधिक के सम्मिलित होने की जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट से पूर्व अनुमति नहीं लेने पर।	10,000 . (रू0 दस हजार)	1. समस्त कार्यपालक मजिस्ट्रेट 2. जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी व खण्ड विकास अधिकारी

7.	मैरिज गार्डन/विवाह स्थल के स्वामी, प्रबंधक एवं अधिभोगी (Occupier) द्वारा सार्वजनिक, सामाजिक, राजनैतिक, खेल–कूद सम्बन्धी, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक समारोह/त्योहारों/शादी–समारोह में अधिकतम **200 व्यक्तियों** से अधिक के सम्मिलित होने की जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट से पूर्व अनुमति नहीं लेने पर।	10,000 (रू0 दस हजार)	1. समस्त कार्यपालक मजिस्ट्रेट 2. जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी व खण्ड विकास अधिकारी
8.	कोई व्यक्ति लोक परिवहन सेवा यथा ऑटो, कैब, रिक्शा, बस, ट्रेन आदि में फेस मास्क या फेस कवर (जिसमें नाक और मुंह समुचित रूप से ढका हो) नहीं पहने हुए हो।	500/–	1. क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी और जिला परिवहन अधिकारी
9.	सभी कार्यस्थल पर कार्यावधि के दौरान नियमित रूप से सेनेटाईजेशन तथा सामाजिक दूरी की पालना नहीं कराई जाने पर।	10,000/–	1. जिला उद्योग केन्द्र के सभी महाप्रबंधक 2. रीको ईकाई के प्रमुख